शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड

Institute of Research, Development and Training Dehradun, Uttarakhand

विवरण पुस्तिका
(INFORMATION BROCHURE)

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स –2025
(Joint Entrance Examination Polytechnics-2025)

ऑनलाइन आवेदन की तिथियाँ

दिनांक 06 जनवरी 2025 से दिनांक 30 अप्रैल 2025 तक

ऑफलाइन(ओ० एम० आर०) आवेदन की तिथियाँ

दिनांक 20 जनवरी 2025 से 15 अप्रैल 2025 तक

उत्तराखंड के समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पॉलीटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध

उत्तराखंड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूडकी से सम्बद्ध उत्तराखंड के पॉलीटेकनिकों / तकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग / टेकनोलॉजी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

आवेदन के लिए परिषद् की वेबसाइट (Website)

www.ubter.in, www.ubterjeep.co.in

शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान देहरादून उत्तराखंड

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के पॉलीटेकनिकों/तकनीकी संस्थानों में डिप्लोमा इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी एवं अन्य पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु

संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स – 2025

(JEEP-2025)

विवरण पुस्तिका (INFORMATION BROCHURE)

- **ऑनलाईन/ऑफलाईन ओ0एम0आर0 आवेदन (परीक्षा शुल्क/काउंसिलिंग शुल्क/जी0एस0टी0 सहित)**

  1.अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए –₹ 500.00
  2.अन्य सभी वर्गों के लिए –₹ 800.00

- अभ्यर्थी परिषद् की वेबसाईट www.ubter.in एवं www.ubterjeep.co.in पर ऑनलाईन आवेदन दिनांक **06 जनवरी 2025 से दिनांक 30 अप्रैल 2025** तक कर सकते हैं।
- ऑफ लाईन ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र उत्तराखण्ड में परिषद् से सम्बद्ध समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त संस्थानों में दिनांक **20 जनवरी 2025 से 15 अप्रैल 2025** के मध्य उपलब्ध होंगे। अभ्यर्थी उक्त तिथियों में आवेदन पत्र क्रय कर दिनांक 15 अप्रैल 2025 तक उसी संस्थान में जमा कर सकते हैं। साथ ही अभ्यर्थी आवेदन पत्र भरने के पश्चात पंजीकृत डाक के माध्यम से ''संयुक्त सचिव, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, अपर आमवाला देहरादून–248001'' के पते पर भी भेज सकते हैं।
- ऑनलाईन आवेदन करने की प्रक्रिया वेबसाईट पर उपलब्ध है।
- उत्तराखण्ड के बाहर निवास करने वाले अभ्यर्थी (जिनके पास उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र नहीं है) उसी दशा में आवेदन पत्र भरें यदि उनके द्वारा न्यूनतम अर्हता की परीक्षा उत्तराखण्ड राज्य से उत्तीर्ण की गयी हो।
- उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, रूड़की से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के राजकीय/महिला/ग्रामीण/अनुदानित/ निजी क्षेत्र के शिक्षण संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग/टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों (प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु), फार्मेसी पाठ्यक्रम, लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग/टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों (द्वितीय वर्ष) एवं टेक्सटाइल डिजाइन, गारमेन्ट टेक्नोलॅाजी, फैशन डिजाइन में प्रवेश हेतु **संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स– 2025** का आयोजन **''उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद्, शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान, अपर आमवाला देहरादून''** के तत्वाधान में होगा। **इसके अतिरिक्त अन्य डिप्लोमा पाठ्यक्रमों जैसे–डिप्लोमा इन माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस, होटल मैनेजमैन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, पी0जी0डी0सी0ए0, पाठ्यक्रमों में अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर मेरिटवार प्रवेश दिया जायेगा। जिसकी सूचना काउंसिलिंग से पूर्व समाचार पत्रों/वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशित की जायेगी।**

➢ **संस्था एवं पाठ्यक्रम** :विभिन्न पॉलीटेकनिकों में चल रहे डिप्लोमा इंजीनियरिंग/टेक्नोलॉजी/फार्मेसी /मॉडर्न ऑफिस मैनेजमेंट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस एवं अन्य पाठ्यक्रमों जैसे–होटल मैनेजमैन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलॉजी, टेक्सटाइल डिजाइन, गारमेन्ट टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन एवं पी0जी0डी0सी0ए0 जिनमें संयुक्त प्रवेश परीक्षा/पाठ्यक्रम की न्यूनतम शैक्षिक अर्हता के आधार पर मैरिटवार प्रथम वर्ष में प्रवेश किये जायेंगे की सूची तथा पाठ्यक्रमों का विकल्प देने हेतु पाठ्यक्रम ग्रुप कोड निम्नवत हैं:–

S.No.	Institute Code	Institute Name	Branch Codes								
1	002	GOVT. GIRLS POLYTECHNIC ALMORA	05	09	12						
2	003	GOVT. GIRLS POLYTECHNIC DEHRADUN	02	05	54						
3	006	GOVT. POLYTECHNIC DEHRADUN(PITHOWALA)	02	05	09	12	14	16	26		
4	007	FREEDOM FIGHTER LATE SH. RAM SINGH BISHT GOVT. POLYTECHNIC DWARAHAT (ALMORA)	02	05	09	12	14	16	46		
5	008	GOVT. POLYTECHNIC GAUCHAR (CHAMOLI)	12	16	39	40					
6	009	GOVT. POLYTECHNIC KASHIPUR (U.S. NAGAR)	01	02	05	09	12	14	16	25	27
7	010	GOVT. POLYTECHNIC LOHAGHAT (CHAMPAWAT)	02	09	12	14	16				
8	011	GOVT. POLYTECHNIC NAINITAL	02	08	09	12	14	16			
9	012	GOVT. POLYTECHNIC NARENDRA NAGAR (TEHRI GARHWAL)	08	09	12	14	16	44	50		
10	013	GOVT. POLYTECHNIC SHAKTIFARM (U.S. NAGAR)	01	08	09						
11	014	GOVT. POLYTECHNIC SRINAGAR GARHWAL (PAURI GARHWAL)	02	05	08	09	12	14	16	26	
12	015	S.S.S.S.S.P.U. GOVT. POLYTECHNIC SULT(ALMORA)	05	09							
13	016	GOVT. POLYTECHNIC UTTARKASHI	02	08	09	16					
14	017	LATE GENERAL BIPIN CHANDRA JOSHI GOVT. RURAL POLYTECHNIC TAKULA(ALMORA)	02	16							
15	018	GOVT. RURAL POLYTECHNIC THALNADI (PAURI GARHWAL)	08	09							
16	019	K.L. POLYTECHNIC ROORKEE (HARIDWAR)	02	08	30	33	43	47			
17	020	B.S. NEGI MAHILA PRAVIDHIK PRASHIKSHAN SANSTHAN DEHRADUN	10	11	15	17	19	42			
18	021	GOVT POLYTECHNIC KOTABAGH (NAINITAL)	05	09							
19	028	ROORKEE COLLEGE OF PHARMACY ROORKEE	16								
20	029	MODERN INSTITUTE OF TECHNOLOGY RISHIKESH	02	08	14	16					
21	030	GOVT POLYTECHNIC KOTDWAR (PAURI GARHWAL)	05	09							
22	032	GOVT. POLYTECHNIC GARUR (BAGESHWAR)	02	14							
23	033	GOVT. POLYTECHNIC KALADHUNGI (NAINITAL)	02	05	32	37					
24	034	GOVT. POLYTECHNIC GANAI GANGOLI (PITHORAGARH)	14								
25	035	GOVT. POLYTECHNIC RATURA (RUDRAPRAYAG)	05	44							
26	036	GOVT. POLYTECHNIC GARHI SHYAMPUR (RISHIKESH)	05	08	44						
27	037	GOVT. POLYTECHNIC SAHIYA (DEHRADUN)	33								

28	038	GOVT. POLYTECHNIC SATPULI (PAURI)	14								
29	039	GOVT. POLYTECHNIC NEW TEHRI	08								
30	040	GOVT. POLYTECHNIC GOPESHWAR (CHAMOLI)	12	14							
31	041	JASWANT SINGH RAWAT GOVT. POLYTECHNIC BIRONKHAL(PAURI)	02	05							
32	042	GOVT. POLYTECHNIC KANDA (BAGESHWAR)	02	14							
33	044	SRI DEV BHOOMI INSTITUTE OF EDUCATION SCIENCE AND TECHNOLOGY, DEHRADUN	16								
34	045	SHAKAMBHARI INSTITUTE OF HIGHER EDUCATION & TECHNOLOGY,ROORKEE	02	08	16	33					
35	046	GOVT. POLYTECHNIC CHAUNALIYA (ALMORA)	05	44							
36	047	GOVT. POLYTECHNIC AAMWALA (DEHRADUN)	05	08	09						
37	048	GOVT. POLYTECHNIC SIDCUL HARIDWAR	09	14	16						
38	049	GOVT. POLYTECHNIC PANTNAGAR (U.S. NAGAR)	09	14							
39	050	GOVT. POLYTECHNIC MALLASALAM (ALMORA)	02	05							
40	051	GOVT. POLYTECHNIC VIKASNAGAR (DEHRADUN)	09	14	16	44					
41	052	GOVT. POLYTECHNIC KANALICHEENA (PITHORAGARH)	08								
42	053	BISHAMBAR SAHAI DIPLOMA ENGINEERING COLLEGE, SALIYAR, ROORKEE	02	05	08	14					
43	054	RAMANAND INSTIUTTE OF PHARMACY & MANAGEMENT, JWALAPUR, HARIDWAR	02	08	14	16					
44	056	ROORKEE COLLEGE OF POLYTECHNIC KISHANPUR, ROORKEE	02	05	14	30	31	33	35		
45	058	COLLEGE OF ADVANCE TECHNOLOGY, VILLAGE NANEHRA, NEAR PUHANA, ROORKEE	02	08	26	33					
46	059	GOVT. POLYTECHNIC DIDIHAT PITHORAGARH	29	44							
47	060	GOVT. POLYTECHNIC JAKHOLI (RUDRAPRAYAG)	12	44							
48	061	SUNRISE ACADEMY MANAGEMENT SOCITY OPPOSITE DEAL, RAIPUR ROAD DEHRDUN	16								
49	062	OM INSTITUTE OF TECHNOLOGY NEAR CRYSTAL WORLD, ROORKEE, HARIDWAR	02	05	08	14	16	30			
50	064	SIDDHARTH INSTITUTE OF PHARMACY, SAHASTRADHARA ROAD, DEHRADUN	16								
51	065	ALPINE COLLEGE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY NANDA KI CHOWKI, DEHRADUN	02	07	16	26	33				
52	068	G.E.T. GROUP OF INSTITUTION (FACULTY OF TECHNOLOGY) BAZPUR, U.S. NAGAR	02	08	14	26	37				
53	069	UTTARAKHAND INSTITUTE OF TECHNICAL AND PROFF. EDUCATION RAMNAGAR (NAINITAL)	02	05	08	09	14				
54	070	B.S.M. COLLEGE OF POLYTECHNIC ROORKEE (HARIDWAR)	02	05	08	14	29				
55	071	SMT. TARAWATI INSTITUTE OF BIO-MEDICAL & ALLIED SCIENCES, ROORKEE	16								
56	072	SATYANAND DIMRI GOVT. POLYTECHNIC BARKOT(UTTARKASHI)	02	12							
57	073	GOVT. POLYTECHNIC HINDOLAKHAL (TEHRI)	16								
58	074	GOVT. POLYTECHNIC MUNAKOT (PITHORAGARH)	02								
59	075	GOVT. POLYTECHNIC KAPKOT (BAGESHWAR)	44								
60	076	SIX SIGMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE, RUDRAPUR (U.S. NAGAR)	02	08	26	33					

61	078	PHONICS GROUP OF INSTITUTIONS, IMLIKHERA ROORKEE	02	08	14	16						
62	082	G.R.D. POLYTECHNIC RAJPUR ROAD, DEHRADUN	02	05	08	14						
63	084	SHIVALIK COLLEGE OF ENGINEERING DEHRADUN	05									
64	087	J.B. INSTITUTE OF TECHNOLOGY, CHAKRATA ROAD, DEHRADUN	02	08	14							
65	090	GOVT. POLYTECHNIC TANAKPUR (CHAMPAWAT)	02	05								
66	091	GOVT. POLYTECHNIC KHATIMA (U.S. NAGAR)	02	08	12	16						
67	092	GOVT. POLYTECHNIC KULSARI (CHAMOLI)	02	05								
68	093	GOVT. POLYTECHNIC PRATAPNAGAR (TEHRI)	02	16								
69	094	GOVT. POLYTECHNIC DANYA (ALMORA)	02	08								
70	095	GOVT. POLTYECHNIC GAJA (TEHRI)	02	08	14							
71	096	HARISHCHANDRA GOVT. POLYTECHNIC BHALASWAGAJ (HARIDWAR)	05	14	16							
72	097	GOVT. POLYTECHNIC BAZPUR (U.S. NAGAR)	02	05	14	16						
73	098	GOVT. POLYTECHNIC JAKHNIDHAR (TEHRI)	05									
74	099	GOVT. POLYTECHNIC GAIRSAIN (CHAMOLI)	08									
75	100	GOVT. POLYTECHNIC PIRUMDARA RAMNAGAR (NAINITAL)	05	08								
76	101	GOVT. POLYTECHNIC QUANSI (DEHRADUN)	02	08								
77	104	BHAGIRATHI INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND MGMT. COLLEGE,DEVIDHAR, LOHAGHAT	02	08	33							
78	105	RUDRAPUR INSTITUTE OF TECHNOLOGY, VILL-BHAGWANPUR, RUDRAPUR (U.S. NAGAR)	02	08	09	26	33					
79	107	DEVBHOOMI INSTITUTE OF POLYTECHNIC NAVGAON MANDUWALA, DEHRADUN	02	05	08	14	26					
80	113	TULAS INSTITUTE, DEHRADUN	02	05	14							
81	114	GOVT. POLYTECHNIC PAURI	14									
82	115	GOVT. POLYTECHNIC BAANS (PITHORAGARH)	02	05								
83	116	GOVT. POLYTECHNIC BHEEMTAL (NAINITAL)	02	05								
84	117	GOVT. POLYTECHNIC BADECHEENA (ALMORA)	08	14								
85	118	GOVT. POLYTECHNIC BACHELIKHAL (TEHRI)	05	14	16							
86	119	GOVT. POLYTECHNIC CHINIYALISAUR (UTTARKASHI)	02	05								
87	120	GOVT. POLYTECHNIC PIPLI (UTTARKASHI)	08									
88	121	GOVT. POLYTECHNIC CHAMPAWAT	08									
89	122	GOVT. POLYTECHNIC CHOPTA (RUDRAPRAYAG)	02									
90	123	GOVT. POLYTECHNIC PAABO (PAURI)	08	44								
91	124	GOVT. POLYTECHNIC KANDIKHAL (TEHRI)	02									
92	125	GOVT. POLYTECHNIC POKHRI (CHAMOLI)	02	08	14							
93	126	GOVT. POLYTECHNIC BERINAAG (PITHORAGARH)	05	16	44							

94	127	GOVT. POLYTECHNIC BANSBAGARH (PITHORAGARH)	05	41							
95	128	GOVT. POLYTECHNIC BARAM (PITHORAGARH)	08								
96	129	GOVT. POLYTECHNIC JOSHIMATH (CHAMOLI)	08	44							
97	130	GOVT. POLYTECHNIC JAINTI (ALMORA)	02	05							
98	131	SRI SAI INSTITUTE OF TECHNOLOGY, JASPUR	02	08	14						
99	132	BHAGIRATHI INSTITUTE OF PHARMACY, LOHAGHAT,CHAMPAWAT	16								
100	134	BISHAMBER SAHAI COLLEGE OF PHARMACY 6 KM MILE STONE, SALIYAR ,ROORKEE	16								
101	135	DEVSTHALI VIDYAPEETH INSTITUTE OF PHARMACY,KACCHI KHAMARIA,RUDRAPUR	16								
102	136	PRAGATI COLLEGE OF PHARMACY, KASHIPUR	16								
103	137	HIMALAYAN INSTITUTE OF PHARMACY AND RESEARCH, DEHRADUN	16								
104	138	RCP COLLEGE OF PHARMACY, ROORKEE	16								
105	139	GURU NANAK COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES DEHRADUN	16								
106	142	ARIHANT COLLEGE OF PHARMACY BADHEDI SHANTERSHAH DAULATPUR HARIDWAR	16								
107	143	DROAN COLLEGE OF PHARMACY DINESHPUR (U.S. NAGAR)	16								
108	144	GLOBAL INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL EDUCATION AND RESEARCH KASHIPUR	16								
109	145	JBIT COLLEGE OF PHARMACY DEHRADUN	16								
110	146	COLLEGE OF PHARMACY DEHRADUN	16								
111	147	SAMRAT PRITHVIRAJ CHAUHAN COLLEGE OF PHARMACY KASHIPUR	16								
112	148	BURMAN GROUP OF INSTITUTION JHABRERA HARIDWAR	16								
113	150	BRD COLLEGE OF PHARMACY ROORKEE HARIDWAR	16								
114	151	SIX SIGMA INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCE RUDRAPUR	16								
115	152	RUDRAPUR COLLEGE OF MANAGEMENT AND TECHNOLOGY RUDRAPUR	16								
116	153	DEVASTHALI VIDYAPEETH COLLEGE OF PHARMACY (RUDRAPUR)	16								
117	154	SANJEEVANI HOSPITAL AND MEDICAL RESEARCH INSTITUTE JHABRERA HARIDWAR	16								
118	156	KINGSTON IMPERIAL INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND SCIENCES DEHRADUN	16								
119	157	AROMA COLLEGE ROORKEE HARIDWAR	16								
120	159	GRD (PG) IMT RAJPUR ROAD DEHRADUN	16								
121	160	HARIDWAR COLLEGE OF PHARMACY HARIDWAR	16								
122	161	AYUSHMAN COLLEGE OF MEDICAL SCIENCE, PUHANA ROORKEE	16								
123	163	GOVT. POLYTECHNIC RANI POKHRI (DEHRADUN)	08	14	43	44					
124	164	ELECTRONICS SERVICE AND TRAINING CENTRE, KANIYA RAMNAGAR (NAINITAL)	05	08	14						
125	165	CHAMAN LAL COLLEGE OF PHARMACY, HARIDWAR	16								
126	166	SAI INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES, U.S. NAGAR	16								

127	167	SHAHEED CAPTAIN D.K.KHOLA COLLEGE OF PHARMACY, U.S. NAGAR	16								
128	168	INSTITUTE OF PROFESSIONAL STUDIES SCHOOL OF PHARMACY, U.S. NAGAR	16								
129	169	ROORKEE BUSINESS SCHOOL OF PHARMACY	16								
130	170	VIDYA JYOTI COLLEGE OF PHARMACY, U.S. NAGAR	16								
131	171	ROORKEE PHARMACY COLLEGE, HARIDWAR	16								
132	172	BHARAT COLLEGE OF PHARMACY, U.S. NAGAR	16								
133	173	JAI ARIHANT ACADEMIC INSTITUTE HALDWANI, NAINITAL	16								
134	174	FACULTY OF PHARMACY MAHARISHI DAYANAND MEDICAL SCIENCE AND RESEARCH INSTITUTE , HARIDWAR	16								
135	175	ANANT COLLEGE OF PHARMACY HARIDWAR	16								
136	176	CARE COLLEGE OF PHARMACY HARIDWAR	16								
137	177	JVC GROUP OF INSTITUTION DEHRADUN	16								
138	178	VIDYA VIKASINEE COLLEGE OF PHARMACY HARIDWAR	16								
139	179	SAI COLLEGE OF PHARMACY DEHRADUN	16								
140	180	VASUDEV COLLEGE OF PHARMACY HALDWANI	16								
141	181	PAL COLLEGE OF PHARMACEUTICAL SCIENCES HALDWANI	16								
142	183	MSME TECHNOLOGY CENTRE SITARGANJ, US NAGAR	05	14	29	53					
143	184	KUNTI NAMAN INSTITUTE OF PHARMA TECHNOLOGY AND SCIENCES, HARIDWAR	16								
144	185	MAHADEV COLLEGE OF PHARMACY HALDWANI	16								
145	186	DIVINE INTERNATIONAL FOUNDATION, HARIDWAR	16								
146	187	SHRI SIDDHI VINAYAK COLLEGE OF PHARMACY, JASPUR	16								
147	188	NAV CHETNA COLLEGE OF PHARMACY, DEHRADUN	16								
148	189	CITY COLLEGE OF PHARMACY HARIDWAR	16								
149	190	ADARSH COLLEGE OF PHARMACY, US NAGAR	16								
150	191	GARG PG COLLEGE, LAKSAR, HARIDWAR	16								
151	192	MAA GIRIJA INSTITUTE OF PHARMACEUTICAL SCIENCE, RAMNAGAR, NAINITAL	16								
152	193	SHRISHTI PHARMACY COLLEGE, HARIDWAR	16								
153	194	KESHAV SURYAMUKHI COLLEGE OF PHARMACY, UDHAM SINGH NAGAR	16								
154	195	GET GROUP OF INSTITUTIONS COLLEGE OF PHARMACY, UDHAM SINGH NAGAR	16								

नोटः– उपरोक्त तालिका में सत्र 2024–25 के अनुसार सम्बद्ध संस्थानों का विवरण एवं उनमें संचालित पाठ्यक्रमों को दर्शाया गया है। सत्र 2025–26 के लिये ए0आई0सी0टी0ई0 / पी0सी0आई0 से अनुमोदन के उपरान्त ही काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश प्रदान किये जायेंगे। राज्य सरकार अथवा उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् बिना किसी पूर्व सूचना के किसी भी संस्था/पाठ्यक्रम में सीटों की संख्या को परिवर्तित कर सकती है अथवा किसी पाठ्यक्रम विशेष में प्रवेश बन्द या प्रारम्भ कर सकती है।

ग्रुपवार पाठ्यक्रमों के कोड की सूची

S.NO.	GROUP CODE	BRANCH CODE	BRANCH NAME
1	E (ENGINEERING)	1	CHEMICAL ENGINEERING
2		2	CIVIL ENGINEERING
3		5	COMPUTER SCIENCE & ENGINEERING
4		8	ELECTRICAL ENGINEERING
5		9	ELECTRONICS ENGINEERING
6		12	INFORMATION TECHNOLOGY
7		14	MECHANICAL ENGINEERING
8		25	AGRICULTURE ENGINEERING
9		26	MECHANICAL ENGINEERING (AUTOMOBILE)
10		27	CHEMICAL ENGINEERING (PAINT)
11		28	CHEMICAL TECHNOLOGY(RUBBER AND PLASTIC)
12		29	AUTOMOBILE ENGINEERING
13		30	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING
14		31	ELECTRICAL & ELECTRONICS ENGINEERING
15		32	INSTRUMENTATION & CONTROL ENGINEERING
16		33	MECHANICAL ENGINEERING (PRODUCTION)
17		34	PRODUCTION ENGINEERING
18		35	CIVIL ENGINEERING (CONSTRUCTION TECHNOLOGY)
19		36	ELECTRONICS & TELECOMMUNICATION ENGINEERING
20		37	ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGINEERING (INDUSTRY INTEGRATED)
21		38	ELECTRONICS AND COMMUNICATION ENGINEERING (TECH ELEX RADIO)
22		39	ELECTRONICS ENGINEERING (SPECIALIZATION IN CONSUMER ELECTRONICS)
23		40	CIVIL ENGINEERING (ENVIRONMENTAL & POLLUTION CONTROL)
24		41	CIVIL ENGINEERING (PUBLIC HEALTH ENGINEERING)
25		42	INTERIOR DESIGN
26		43	ARTIFICIAL INTELLIGENCE AND MACHINE LEARNING
27		44	CIVIL AND ENVIRONMENTAL ENGINEERING
28		45	MECHATRONICS
29		46	AUTOMATION AND ROBOTICS
30		47	COMMUNICATION AND COMPUTER NETWORKING
31		48	CONSTRUCTION AUTOMATION
32		49	CYBER FORENSICS AND INFORMATION SECURITY
33		50	GAMING AND ANIMATION
34		51	CLOUD COMPUTING AND BIG DATA
35		52	AIRCRAFT MAINTENANCE ENGINEERING
36		53	3D PRINTING AND DESIGN
37		54	DIPLOMA IN ARCHITECTURE
38	H (DHMCT)	7	HOTEL MANAGMENT & CATERING TECHNOLOGY
39	T (TEXTILE)	10	FASHION DESIGN
40		11	GARMENT TECHNOLOGY
41		19	TEXTILE DESIGN
42	M (MOMSP)	15	MODERN OFFICE MANAGEMENT & SECRETARIAL PRACTICE
43	P (PHARMACY)	16	PHARMACY
44	G (PGDCA)	17	P.G. DIPLOMA IN COMPUTER APPLICATION

45	A (LATERAL ENTRY)	ALL BRANCHES OF GROUP E (ENGINEERING)

परीक्षा कार्यक्रमः ग्रुप E/T- इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम/टेक्सटाइल डिजाइन, गारमेन्ट टेक्नोलॉजी, फैशन डिजाइन, ग्रुप P- डिप्लोमा इन फार्मेसी एवं ग्रुप A- लेटरल एंट्री के माध्यम से डिप्लोमा इन इन्जीनियरिंग/टेक्नोलॉजी पाठ्यक्रमों (द्वितीय वर्ष) में प्रवेश के लिये संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथियाँ आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि के उपरान्त विज्ञापन के माध्यम से समाचार पत्रों एवं वेबसाईट पर प्रकाशित की जायेंगी।

- **आयु** : प्रवेश चाहने वाले अभ्यर्थियों के लिये आयु सीमा का कोई प्रतिबन्ध नहीं है।
- **स्वास्थ्य** : प्रवेश परीक्षा के अभ्यर्थियों की शारीरिक स्वस्थता जांच के लिये न्यूनतम मानक निम्नवत होंगेः—
  - **शारीरिक स्वस्थता जॉच—** उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद से सम्बद्ध उत्तराखण्ड के संस्थाओं में चल रहे डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मानसिक तथा शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए तथा उसके शरीर में ऐसी कोई कमी नहीं होनी चाहिए जिसके फलस्वरूप वह प्रोफेशन का कार्य दक्षता से सम्पन्न न कर सके। प्रत्येक अभ्यर्थी को प्रवेश लेने से पूर्व राजकीय चिकित्सालय द्वारा निर्गत स्वस्थता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

➢ प्रवेश हेतु पाठ्यक्रम का नाम, कोड, अवधि, शैक्षिक अर्हता, परीक्षा—विषय तथा प्रवेश परीक्षा में प्रश्नों का प्रतिशत :—

पाठ्यक्रम ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम	
E & T ग्रुप -T (केवल महिला अभ्यर्थियों के लिये)	ग्रुप -E डिप्लोमा इंजी0 / टेक्नोलाजी पाठ्यक्रम ग्रुप -T 1.टेक्सटाईल डिजाइन 2.गारमेन्ट टेक्नोलाजी 3.फैशन डिजाइन	तीन वर्षीय	हाईस्कूल परीक्षा उत्तीर्ण अथवा समकक्ष परीक्षा।	खण्ड—एक—गणित खण्ड—दो—विज्ञान (भौतिकी तथा रसायन)	50% 50%
P	डिप्लोमा इन फार्मेसी	दो वर्षीय	भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान या गणित के साथ 10+2 परीक्षा (विज्ञान शैक्षणिक स्ट्रीम) में उत्तीर्ण। अथवा, भारतीय भेषजी परिषद् द्वारा अनुमोदित उपरोक्त परीक्षा के समकक्ष कोई अन्य योग्यता।	खण्ड—एक—फिजिक्स, कैमिस्ट्री खण्ड—दो—बायोलाजी या गणित	50% 50%
A	डिप्लोमा इंजी0 पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से प्रवेश	दो वर्षीय	1. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (भौतिकी, रसायन एवं गणित विषय) या 2. 10+2 परीक्षा उत्तीर्ण (व्यवसायिक/ प्राविधिक विषय उत्तीर्ण) या 3. दो वर्षीय आई0टी0आई0 उत्तीर्ण (ए0आई0सी0टी0ई0 नई दिल्ली द्वारा जारी एप्रुवल प्रोसेस हैण्डबुक (ए0पी0एच0) 2024—25 से 2026—27 में लेटरल एन्ट्री के माध्यम से द्वितीय वर्ष में प्रवेश हेतु दी गयी व्यवस्था के अनुसार)।	हाईस्कूल स्तर की गणित— भौतिकी— रसायन— सामान्य इंजी0— (विद्युत, इलेक्ट्रानिक्स, यांत्रिक)	 40% 20% 20% 20%
M	मार्डन आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्षीय	10+2/इन्टरमीडिएट या उसके समकक्ष (हाईस्कूल अथवा इन्टरमीडिएट परीक्षा में हिन्दी तथा अंग्रेजी विषय का होना अनिवार्य है।)	प्रवेश प्रक्रिया 10+2/ इन्टरमीडिएट की मेरिट के आधार पर होगी। जिसके लिये काउंसिलिंग के समय नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा।	
H	डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेन्ट एण्ड केटरिंग टेक्नोलाजी	तीन वर्षीय	10+2/ इन्टरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा अंग्रेजी विषय के साथ (Obtained at least 35% marks at the qualifying examination)	प्रवेश प्रक्रिया 10+2/ इन्टरमीडिएट की मेरिट के आधार पर होगी। जिसके लिये काउंसिलिंग के समय नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा।	

पाठ्यक्रम ग्रुप	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि	न्यूनतम शैक्षिक अर्हता	परीक्षा विषय एवं पाठ्यक्रम
G	पी.जी.डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्षीय	–स्नातक उपाधि–	प्रवेश प्रक्रिया स्नातक की मेरिट के आधार पर होगी। जिसके लिये काउंसिलिंग के समय नोटिफिकेशन जारी किया जायेगा।

नोट :–

1. उपरोक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु प्रवेश परीक्षा पाठ्यक्रम विशेष के लिए न्यूनतम अर्हता के लिए निर्धारित पाठ्यचर्या के अन्तर्गत होगी।
2. महिला पॉलीटेकनिक संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रम केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है, परन्तु अन्य पॉलीटेकनिक/संस्थानों में महिला/पुरुष अभ्यर्थियों से सीटें भरी जायेंगी।
3. प्रत्येक ग्रुप में आवेदन हेतु अभ्यर्थी को अलग–अलग आवेदन करना होगा।

➢ **विकलांग एवं अक्षम अभ्यर्थी:–** विकलांग अभ्यर्थियों हेतु उत्तराखण्ड की निम्नलिखित संस्था में चल रहे निम्न पाठ्यक्रमों में विकलांग अभ्यर्थियों को प्रवेश दिया जायेगा। जिसमें भी उपरोक्तानुसार प्रवेश सुविधायें उपलब्ध हैं।

संस्था का नाम	इलेक्ट्रॉ० इंजी०	इलेक्ट्री० इंजी०	मैके०इंजी.(प्रो०)
के० एल० पाली० रूड़की	06 सीटें	06 सीटें	06 सीटें

उपरोक्त के अतिरिक्त शेष सभी संस्थाओं में चल रहे पाठ्यक्रमों में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु प्रवेश क्षमता का 4 प्रतिशत क्षैतिज प्रकृति का आरक्षण उपलब्ध है। इन संस्थाओं में विकलांग अभ्यर्थियों को सामान्य अभ्यर्थियों के अनुरूप ही सुविधायें उपलब्ध हैं। उपरोक्त श्रेणी में केवल ऐसे विकलांग अभ्यर्थी पात्र होंगे, जिनकी अक्षमता 40 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हो।

➢ **प्रवेश हेतु अनिवार्यता:–**

1. जिन्होंने निर्धारित अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड में स्थित मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से उत्तीर्ण की हो

अथवा

2. जिन्होंने अर्हकारी परीक्षा उत्तराखण्ड के बाहर किसी अन्य प्रदेश से उत्तीर्ण की हो किन्तु उत्तराखण्ड के स्थाई निवासी हों।

यदि कोई विदेशी संयुक्त प्रवेश परीक्षा में चयनित हो जाता है तो उसके प्रवेश हेतु अभ्यर्थी के देश के सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित/संस्तुत होने अथवा केन्द्र सरकार द्वारा नामित/संस्तुत/सहमति आवश्यक होगी। कश्मीर से विस्थापित अभ्यर्थियों हेतु शासनादेश में दी गई व्यवस्था के अनुसार सीटें आरक्षित की गई हैं, तदानुसार प्रवेश अनुमन्य होगा।

विशेष ध्यानाकर्षण :

अ. आरक्षण वर्ग के अन्तर्गत चयनित अभ्यर्थी यह भली–भाँति नोट कर लें, कि चयनित होने के बाद भी उन्हें प्रवेश तभी दिया जायेगा जब वे आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र (सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त) निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करेंगे। प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न कर पाने

की दशा में उनका चयन निरस्त माना जायेगा और वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे, तथा इस सम्बन्ध में उनका कोई भी दावा मान्य नहीं होगा।

ब. प्रवेश के पश्चात संस्था/पाठ्यक्रम स्थानान्तरण किसी भी दशा में सम्भव नहीं होगा।

सीटों का आरक्षण:

प्रवेश परीक्षा के माध्यम से संस्थाओं में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड सरकार के सुसंगत शासनादेशों के अधीन निम्नवत् है :–

क्र०सं०	जिनके लिये आरक्षित है	आरक्षित स्थान	कोड
	ऊर्ध्वाधर आरक्षण		
1.	अनुसूचित जाति (S.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	19 %	**SC**
2.	अनुसूचित जनजाति (S.T.) अभ्यर्थियों के लिये।	04 %	**ST**
3.	अन्य पिछड़े वर्ग (O.B.C.) अभ्यर्थियों के लिये।	14 %	**OBC**
4.	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (E.W.S.) अभ्यर्थियों के लिये।	10 %	**EWS**
5.	N.C.C. प्रमाण पत्र धारकों के लिए (उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार)	प्रवेश परीक्षा के प्राप्तांकों में A, B तथा C हेतु प्राप्तांकों का क्रमशः 1, 2, तथा 3% जोड़ा जायेगा	**NCC**
	क्षैतिज आरक्षण		
6.	स्वतन्त्रता संग्राम सेनानी (D.F.F.) के आश्रितों के लिये।	02 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	**DFF**
7.	भूतपूर्व सैनिकों/अपंग/मृत सैनिकों के आश्रित (MP)	05 % संस्थागत, पाठ्यक्रमवार कुल सीटों के सापेक्ष	**MP**
8.	विकलांग अभ्यर्थियों (PH) के लिये।	04 %	**PH**
9.	महिलाओं (Women) के लिये।	*30 %	**WO**

***उर्ध्व/क्षैतिज आरक्षण शासन द्वारा निर्गत तथा अद्यतन प्रचलित शासनादेश के आधार पर केवल उत्तराखण्ड के अधिवासी अभ्यर्थियों को ही अनुमन्य है।**

नोट :
1. जो महिला/व्यक्ति जिस वर्ग का होगा/होगी उसे उसी वर्ग में हारिजैन्टल आरक्षण अनुमन्य होगा।
2. उपरोक्त आरक्षण उत्तराखण्ड शासन द्वारा परिवर्तनीय है।
3. यदि कोई अभ्यर्थी प्रोविजनली चयनित हो जाने की दशा में अपने आरक्षण वर्ग, उपवर्ग का प्रमाण–पत्र शासन द्वारा निर्धारित प्रारूप पर प्रवेश के समय संस्था मे प्रस्तुत नहीं करता है अथवा आरक्षण के सम्बन्ध में उसके द्वारा दिया गया वक्तव्य असत्य पाया जाता है तो किसी अन्य वर्ग में समायोजित नहीं किया जायेगा एवं उसकी पात्रता/चयन निरस्त समझा जायेगा।
4. भूतपूर्व सैनिकों के लिए शासनादेश मे दी गयी व्यवस्था के अनुसार आरक्षण दिया जायेगा। आश्रितों की परिभाषा सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा निर्धारित व्यवस्था अनुमन्य होगी।

5. आरक्षण प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य है। आरक्षण (SC, ST, OBC, EWS) का लाभ लेने के लिये उत्तराखण्ड राज्य का स्थायी निवासी होना अनिवार्य है। यदि अभ्यर्थी काउंसिलिंग के समय प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो उसे काउंसिलिंग में प्रवेश के लिये अर्ह नहीं माना जायेगा।

6. N.C.C. का लाभ लेने के लिये अभ्यर्थियों को आवश्यक है कि आवेदन करते समय उनके पास A,B अथवा C सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। क्योंकि अभ्यर्थी के प्राप्तांकों में अंकों का प्रतिशत क्रमशः 1,2 एवं 3 प्रतिशत जोड़ा जाता है अतः काउंसिलिंग में यदि अभ्यर्थी N.C.C. का उक्त प्रमाण पत्र नहीं प्रस्तुत करता है तो काउंसिलिंग में प्रवेश का अर्ह नहीं माना जायेगा।

➢चयन एवं काउंसिलिंग सम्बन्धी नियमः–

- **मेरिट सूची :** सभी पाठ्यक्रमों में पाठ्यक्रम एवं संस्था का आवंटन मेरिट के आधार पर काउंसिलिंग के माध्यम से किया जायेगा, मेरिट सूची में अभ्यर्थी का मेरिट क्रम प्राप्तांकों के आधार पर होगा। एक से अधिक अभ्यर्थियों के उक्त प्राप्तांकों का योग यदि समान होता है तो उस स्थिति में प्रत्येक अभ्यर्थी की पारस्परिक मेरिट की अवधारणा प्रथमतः सम्बन्धित अभ्यर्थियों के जन्म तिथि के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी। इसके उपरान्त भी यदि मेरिट क्रमांक की अवधारणा न हो तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों के गणित, विज्ञान/रसायन, बायोलॉजी जैसी भी स्थिति के अंकों के आधार पर मेरिट निर्धारित की जायेगी और अन्त में यदि उक्त सभी विकल्पों के बावजूद मेरिट निर्धारित नहीं हो पाती तो सम्बन्धित अभ्यर्थियों का मेरिट क्रम सचिव, उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा निर्धारित की जायेगी।
- **परीक्षाफल/मेरिट सूची की घोषणा :** जीप–2025 के परीक्षाफल एवं रैंक की घोषणा परिषद् की वेबसाइट में प्रकाशित की जायेगी। अभ्यर्थी अपना प्रवेश पत्र परीक्षा होने से संस्था में प्रवेश होने तक अपने पास सुरक्षित रखें।
- **कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग :** कम्प्यूटराईज्ड काउंसिलिंग की तिथियां व समय समाचार पत्रों एवं परिषद् की वेब साईट पर प्रकाशित की जायेगी। इसके लिए अभ्यर्थी को अलग से **कोई सूचना (Call Letter)** नहीं भेजी जायेगी।
- परीक्षाफल प्रकाशन से पूर्व अथवा बाद में जब भी आवश्यक हो राज्य सरकार के पास प्रत्येक पाठ्यक्रमों की सीटों में (जिसमें आरक्षित श्रेणी की सीटें सम्मिलित है) कमी, बढ़ोत्तरी अथवा उनके संबन्ध में अन्य कोई भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार रहेगा।
- परिषद् द्वारा ए0आई0सी0टी0ई0 से वर्ष 2025–26 हेतु अनुमोदित संस्थानों/पाठ्यक्रमों एवं अनुमोदित प्रवेश क्षमता के अनुसार ही काउंसिलिंग में सम्मिलित किया जायेगा।
- **आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण–पत्र :** आरक्षण प्रमाण–पत्र जैसे अन्य पिछड़ी जाति, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, सैनिक आश्रित, स्वतंत्रता संग्राम सैनानी आश्रित, विकलांग आदि को आरक्षण का लाभ प्रवेश के समय सम्बन्धित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। उक्त प्रमाण–पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित होना आवश्यक है। जो अभ्यर्थी आवेदन–पत्र में दर्शाये गये आरक्षण वर्ग के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत नहीं कर पायेंगे वे प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अतः अभ्यर्थी को चाहिए कि वह आवेदन करते समय आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग के कालम का विशेष ध्यान रखें तथा आरक्षित वर्गों की सीटों हेतु तब ही आवेदन करें जब वे वाँछित प्रमाण–पत्र रखते हों एवं प्रवेश के समय प्रवेश समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सकें, क्योंकि बाद में उन्हें अन्य वर्ग में किसी भी परिस्थितियों में समायोजित नहीं किया जायेगा।
- **प्रवेश पत्र :** प्रवेश पत्र संयुक्त प्रवेश परीक्षा की तिथि के 15 दिन पूर्व, परिषद् की वेबसाईट पर ऑनलाईन उपलब्ध रहेगा। अभ्यर्थियों को प्रवेश पत्र डाक द्वारा प्रेषित नहीं किये जायेंगे। अभ्यर्थी को चाहिए कि वह प्रवेश–पत्र पर अंकित आरक्षण वर्ग, उपवर्ग भली–भाँति चेक कर लें। किसी भी प्रकार की त्रुटि होने पर ऑनलाईन ही त्रुटि का सुधार संभव होगा।

- प्रवेश के समय आरक्षण वर्ग का प्रमाण–पत्र प्रारूप पर प्रस्तुत न कर पाने की दशा में अभ्यर्थन स्वतः समाप्त हो जायेगा, और इस सन्दर्भ में कोई भी दावा मान्य नहीं होगा। प्रवेश परीक्षा–2025 में चयनित अभ्यर्थियों का चयन केवल सत्र–2025–26 के लिये है। यह चयन किसी भी दशा में अगले सत्र के लिये मान्य नहीं होगा।

- **प्रवेश परीक्षा केन्द्र / शहर –** परीक्षा केन्द्र / शहर निम्नवत हैं:–

शहर का नाम	कोड		शहर का नाम	कोड		शहर का नाम	कोड
हरिद्वार	11		गौचर(चमोली)	16		पिथौरागढ़	21
देहरादून	12		रूद्रप्रयाग	17		बागेश्वर	22
नई टिहरी	13		काशीपुर(उ0सिं0 नगर)	18		लोहाघाट(चम्पावत)	23
उत्तरकाशी	14		हल्द्वानी(नैनीताल)	19			
श्रीनगर(पौड़ी)	15		अल्मोड़ा	20			

नोटः

1. अभ्यर्थी कृपया यह नोट कर लें कि उनके द्वारा प्रवेश परीक्षा हेतु दिये गये प्रथम विकल्प परीक्षा केन्द्र पर यदि छात्रों की संख्या 100 से कम पायी जाती है तो उन्हें निकटतम परीक्षा केन्द्र आवंटित किया जायेगा।
   आयोजक संस्था को यह अधिकार होगा कि किसी भी अभ्यर्थी को किसी भी केन्द्र से परीक्षा देने की अनुमति दे सकता है। आयोजक संस्था द्वारा आवंटित परीक्षा केन्द्र में कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।
2. यदि कोई अभ्यर्थी संयुक्त प्रवेश परीक्षा के पाठ्यक्रम ग्रुप कोड E/T, P तथा A के पाठ्यक्रमों की परीक्षा में बैठने हेतु निर्धारित शैक्षिक अर्हताएं रखता है तथा वह एक से अधिक ग्रुपों की परीक्षाओं में बैठने का इच्छुक है तो उसे प्रत्येक ग्रुप की परीक्षाओं हेतु अलग–अलग आवेदन करने होंगे। ऐसे अभ्यर्थी परीक्षा केन्द्र हेतु विकल्प ऊपर लिखित शहरों में से ही दें ताकि उन्हें सभी परीक्षाओं (प्रातः पाली एवं सायं पाली / अगली तिथि की प्रातः पाली एवं सायं पाली) में सम्मिलित होने में कोई असुविधा न हो तथा भिन्न–भिन्न परीक्षा केन्द्र न मिलें। यथा सम्भव प्रयास किया जायेगा कि विकल्प के मुताबिक अभ्यर्थी को परीक्षा केन्द्र आंवटित किया जायेगा परन्तु इस प्रकार कि कोई बाध्यता परिषद की नही होगी।

➢ अन्य आवश्यक निर्देशः–

- उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् रूड़की द्वारा संचालित **"संयुक्त प्रवेश परीक्षा पॉलीटेकनिक्स–2025"** में सम्मिलित होने से अभ्यर्थी उन सभी नियमों, प्रतिबन्धों से आबद्ध हो जाता है जो इस विवरण–पुस्तिका में विभिन्न स्थानों पर दिये गये हैं या जिन्हें समय–समय पर परिषद् या राज्य सरकार परिवर्तित करे या लागू करे।
- यदि किसी अभ्यर्थी के द्वारा प्रस्तुत सूचना प्रवेश से पूर्व / प्रवेश के समय या भविष्य में असत्य पायी जाती है तो अभ्यर्थी का अभ्यर्थन / प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा।
- इस विवरण–पुस्तिका में दिये गये विवरण अभ्यर्थियों के सूचनार्थ तथा निर्देशार्थ है। अतः इसका उपयोग वर्णित कार्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य के लिये मान्य नहीं होगा। वाद की स्थिति में न्यायिक क्षेत्र देहरादून में स्थित न्यायालय ही मान्य है। परीक्षार्थियों के सम्बन्ध में परिषद् का निर्णय अन्तिम होगा तथा वे परिषद् के निर्देश मानने हेतु बाध्य होंगे।
- अभ्यर्थी का चयन केवल इस वर्ष के लिये ही किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी किसी कारणवश (अघोषित परीक्षाफल, अपूर्ण परीक्षाफल, पूरक परीक्षा, अंकतालिका न मिलने, टी.सी. न मिलने, अन्य वाँछित प्रमाण–पत्र न प्रस्तुत कर पाने आदि–आदि।) प्रवेश की तिथि तक सभी वाँछित प्रमाण–पत्र प्रस्तुत कर प्रवेश नहीं ले पाता है, तो उसका चयन स्वतः ही निरस्त हो जायेगा और इसका उत्तरदायित्व परिषद् पर नहीं होगा तथा उसे अगले वर्ष प्रवेश नहीं दिया जायेगा।

- इस विवरण–पुस्तिका के अतिरिक्त परिषद् द्वारा अथवा उसकी ओर से अन्य किसी भी संस्थान द्वारा अभ्यर्थियों के मार्गदर्शन/गाइडेन्स हेतु किसी प्रकार का कोई प्रकाशन नहीं किया गया है। यदि कोई संस्थान/परिषद् के नाम का दुरुपयोग करता है तो उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही की जा सकती है।
- अभ्यर्थी को चाहिये कि ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व विवरण–पुस्तिका का भली–भाँति अध्ययन कर लें। **आरक्षण, उपवर्ग, फार्म भरने की अन्तिम तिथि, मांगे गये शहर का नाम** (जहां से वह परीक्षा देना चाहता है।) अवश्य नोट कर लें, जिससे कि बाद में आवश्यकता पड़ने पर वह संदर्भ दे सकें। ऑनलाईन फार्म का प्रिन्ट आउट परिषद् में भेजने की आवश्यकता नहीं है।
- अभ्यर्थी को चाहिये कि वह आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग प्रत्येक जगह सही–सही भरें तथा चेक कर लें कि उसको ऑनलाईन प्रवेश–पत्र पर अंकित उसका आरक्षण वर्ग तथा उपवर्ग सही है। त्रुटि होने पर परिषद् कार्यालय से तुरन्त सम्पर्क कर त्रुटि सुधार करवा लें। प्रवेश होने पर सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रारूपों पर संबंधित आरक्षण वर्ग/उपवर्ग का प्रमाण–पत्र प्रस्तुत न कर पाने पर अभ्यर्थी का प्रवेश स्वतः ही समाप्त हो जायेगा और इस सम्बन्ध में उसका कोई भी दावा मान्य न होगा तथा यह चयन किसी भी स्थिति में अगले वर्ष के लिये मान्य नहीं होगा।
- निदेशक प्राविधिक शिक्षा के पत्रांक 215/प्रदेश एनटीपीसी/2012–13 दि. 12–12–2012 के संदर्भ में राजकीय पॉलीटेक्निक कालाढुंगी में सभी पाठ्यक्रमों में प्रवेश क्षमता की 10% सीटें एनटीपीसी में तैनात कार्मिकों के आश्रित अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित है।
- उपरोक्त संस्थायें एवं पाठ्यक्रम् ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2024–25 में दिये गये अनुमोदन के आधार पर दर्शायी गयी हैं, जो कि अनन्तिम हैं। इनमें विभाग/शासन द्वारा निरीक्षण/जाँच किये जाने पर अथवा किसी भी प्रकार की कमी अथवा अनुशासनहीनता पाये जाने पर कभी भी परिवर्तन/निरस्त किया जा सकता है। ए0आई0सी0टी0ई0 द्वारा सत्र 2025–26 हेतु प्रदान किये जाने वाले अनुमोदन के आधार पर काउंसिलंग का आयोजन किया जायेगा।
- शासनादेश सं0 915/XLI-A/24-26/10-E-14206 तकनीकी शिक्षा, देहरादून दिनांक 16 अगस्त 2024 के क्रम में लेटरल एंट्री में माध्यम से द्वितीय वर्ष में ए0आई0सी0टी0ई0 नई दिल्ली द्वारा जारी अप्रूवल प्रोसेस हैंडबुक (ए.पी.एच.) में लेटरल एंट्री हेतु वर्णित व्यवस्था के अनुसार किया जाएगा।

संस्थायें एवं पाठ्यक्रम : उत्तराखण्ड राज्य में प्राविधिक शिक्षा की राज्य सरकार द्वारा संचालित राजकीय, सहायता प्राप्त एवं निजी डिप्लोमा स्तर की संस्थायें है, जिनमें रोजगारपरक तथा उद्योगोन्मुखी परम्परागत तकनीकी तथा नई उभरती तकनीकी के 44 पाठ्यक्रम संचालित हैं।

पठन–पाठन की व्यवस्था :

- ➢ विज्ञान एवं टेक्नोलाजी के क्षेत्र में हो रहे बहुआयामी विकास के कारण प्रदेश के औद्योगिक परिदृश्य में हो रहे क्रान्तिकारी परिवर्तनों के अनुरूप तकनीकी शिक्षा के पाठ्यक्रमों में शिक्षण–प्रशिक्षण की समुचित व्यवस्था है।
- ➢ तकनीकी प्रशिक्षण की आवश्यकता के अनुरूप साज–सज्जा, आधुनिक मशीनों तथा प्रशिक्षण व्यवस्था का सुदृढीकरण, उद्योगोन्मुखी एवं रोजगारपरक नवीन पाठ्यक्रमों की आधारभूत संरचना।

अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओ0बी0सी0 अभ्यर्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्तियॉ सम्बन्धी जानकारी

समाज कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जाति/जनजाति एवं ओ0बी0सी0 के अर्ह अभ्यर्थियों को प्रवेश के उपरान्त शिक्षण शुल्क छात्रवृत्ति के रूप में वापस किया जाता है।

महिलाओं हेतु विशेष व्यवस्थाः

- ❖ महिलाओं हेतु प्रदेश में 2 पॉलीटेकनिक संचालित किये जा रहे हैं, जिनमें चल रहे रूचिकर एवं रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में केवल महिलाओं के लिए ही प्रशिक्षण उपलब्ध है।
- ❖ महिला पॉलीटेकनिकों के अतिरिक्त महिलाओं के लिये समस्त पॉलीटेकनिकों में 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था भी की गयी है।

- ❖ छात्राओं के लिए छात्रावास, एन0एस0एस0 प्रशिक्षण एवं पुस्तकालय एवं वाचनालय की सुविधा भी उपलब्ध है।

शिक्षणेत्तर क्रियाकलाप : संस्था स्तर/क्षेत्रीय स्तर एवं राज्य स्तर पर खेलकूद, वादविवाद, सांस्कृतिक एवं अन्य बहुआयामी कार्यक्रमों का आयोजन।

विकलांगों हेतु विशेष प्रशिक्षण : श्रवण एवं अस्थि विकलांगों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने हेतु के0एल0पॉलीटेकनिक रूड़की (हरिद्वार) में विकलांग अभ्यर्थियों हेतु भारत सरकार द्वारा संस्थान में विकलांग छात्रों को निःशुल्क प्रशिक्षण, छात्रावासीय सुविधा, रू0 190.00 प्रतिमाह की छात्रवृत्ति, रू0 250.00 प्रतिमाह की फूड सब्सिडी तथा संस्था की निशुल्क यूनीफार्म प्रदान की जाती है।

ऑनलाईन काउंसिलिंग एवं सीट आवंटन का संक्षिप्त विवरण : परिषद् द्वारा प्रवेश परीक्षाफल घोषणा के उपरान्त भारत सरकार की इकाई एन0आई0सी0 के सहयोग से ऑनलाईन काउंसिलिंग का आयोजन किया जाता है। जिसमें अभ्यर्थी कहीं से भी जहॉ इन्टरनेट की सुविधा हो काउंसिलिंग में सम्मिलित हो सकता है। अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाईन विकल्प भरने के उपरान्त एन0आई0सी0 के द्वारा प्रवेश सूची भी इन्टरनेट के माध्यम से तथा मोबाईल के माध्यम से जारी की जाती है। काउंसिलिंग की तिथियों की सूचना परिषद् के द्वारा समाचार पत्रों एवं वेबसाईट के माध्यम से प्रकाशित की जाती है।

संस्था में छात्र की उपस्थिति की अनिवार्यता सम्बन्धी विवरण : प्रवेश के उपरान्त छात्र को वार्षिक एवं सेमेस्टर परीक्षा में सम्मिलित होने के लिये 80 प्रतिशत उपस्थिति होनी अनिवार्य है।

सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत लोक सूचना अधिकारी/अपीलीय अधिकारी का विवरण : सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में परिषद् में प्रथम अपीलीय अधिकारी, लोक सूचना अधिकारी एवं सहायक सूचना अधिकारी की नियुक्ति कर दी गयी है।

संस्थाओं में रैगिंग से सम्बन्धित नियम : माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में पॉलीटेकनिक संस्थाओं में रैगिंग किया जाना पूर्णतः प्रतिबन्धित है। जिसके लिये प्रत्येक वर्ष समस्त पॉलीटेकनिकों में प्रधानाचार्यों द्वारा एन्टी रैगिंग स्क्वायड की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है।

राजकीय/महिला/ग्रामीण/सहायता प्राप्त पॉलीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासनादेश सं0 245/XLI-1/2016-61/09 देहरादून दिनांक 15 फरवरी 2016 एवं शासनादेश सं0 774/XLI-1/2017-61/09 दिनांक 14 जून 2017 के द्वारा निर्धारित शुल्क ढाँचा:–

क्रं0 सं0		शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में	क्रं0 सं0	शुल्क की मदें	शुल्क दरें ₹ में
1		**शिक्षण शुल्क**	**8000.00**		15 छात्र वेलफेयर शुल्क	100.00
2		**छात्र निधि शुल्क**	**5000.00**		16 एन0सी0सी0 शुल्क	100.00
	1	प्रवेश फार्म एवं प्रवेश शुल्क निबंधन	50.00		17 पुस्तकालय काशन मनी	100.00
	2	परिचय पत्र शुल्क	50.00	3	**छात्रावास शुल्क**	**4000.00**
	3	क्रीड़ा शुल्क	250.00		18 छात्रावास शुल्क	600.00
	4	वार्षिकोत्सव शुल्क	100.00		19 छात्रावास काशन मनी	200.00
	5	शैक्षिक परीक्षा शुल्क	100.00		20 छात्रावास अनुरक्षण शुल्क	2000.00
	6	मैग्जीन शुल्क	100.00		21 छात्रावास विद्युत शुल्क	1100.00
	7	हॉबी सेन्टर शुल्क	50.00		22 बर्तन चन्दा	100.00
	8	विद्युत शुल्क	1000.00		**बोर्ड परीक्षा शुल्क** **मुख्य परीक्षा शुल्क** (सभी छात्रों हेतु एक समान)	राजकीय–500.0 निजी क्षेत्र–1000.0
	9	कॉसन मनी संस्थागत् (refundable)	100.00		**परीक्षा आवेदन पत्र शुल्क**	200/-
	10	शैक्षिक/औद्योगिक भ्रमण	300.00		**बैक पेपर परीक्षा शुल्क** (सभी छात्रों हेतु एक समान)	200/- प्रति विषय
	11	अनुरक्षण शुल्क	1500.00		**स्क्रूटनी शुल्क**	250/- प्रति विषय
	12	कम्प्यूटर/इन्टरनेट शुल्क	500.00		**अंकतालिका शुल्क** (संस्था द्वारा निर्गत करने पर) (परिषद् द्वारा निर्गत करने पर)	20.00 30.00
	13	विकास/भवन विकास शुल्क	500.00		**पुर्नमूल्यांकन**	2000/- प्रति विषय
	14	पुस्तकालय शुल्क	100.00			

नोटः प्रवेशित छात्र–छात्राओं द्वारा मात्र एक ही संस्थान में शुल्क जमा किया जायेगा। छात्र–छात्रा का जीप–द्वितीय/तृतीय काउंसिलिंग के माध्यम से पॉलीटेकनिक एवं पाठ्यक्रम परिवर्तन होने की दशा में नयी संस्था में प्रवेश पुरानी संस्था द्वारा प्रदत्त रिलीविंग सर्टिफिकेट (जिसमें छात्र द्वारा जमा किये गये समस्त शुल्क का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा) प्रस्तुत करने पर होगा एवं छात्र से नयी स्थानान्तरित संस्था में कोई शुल्क (शिक्षण/छात्रनिधि) नहीं लिया जायेगा।

निजी क्षेत्र के पॉलीटेकनिक संस्थाओं में उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश सं0 1363/XXIV(8)/2009-03/04 दिनाँक 27 अक्टूबर, 2009 एवं 600/XXIV(8)/2010-51/2005 दिनाँक 28 अप्रैल 2010 के अनुसार शुल्क ढाँचाः–

क्रं0 सं0	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	निर्धारित शुल्क
1	शाकुम्भरी इन्स्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन एवं टेक्नोलाजी, रूड़की	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
2	विशम्बर सहाय डिप्लोमा इंजी0 कालेज, देहरादून	इंजीनियरिंग शाखा	₹ 35000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
3	मार्डन इन्स्टीट्यूट आफ टेक्नोलाजी, ऋषिकेश	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
4	ज्ञानी इन्दर सिंह इन्स्टीट्यूट आफ एजुकेशन साइन्स एवं टेक्नोलाजी, देहरादून	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
5	रूड़की कालेज आफ फार्मेसी किशनपुर, रूड़की	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
6	श्री देव भूमि इन्स्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन साइन्स एवं टेक्नोलाजी, देहरादून	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष (अनन्तिम)
7	बी0एस0 नेगी, महिला प्राविधिक प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	फैशन डिजायन, गारमेन्ट टैक्नोलाजी	₹ 22300 प्रतिवर्ष
8	सिद्धार्थ इन्स्टीट्यूट आफ फार्मेसी सहस्त्रधारा रोड़ देहरादून	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष
9	रामानन्द इंस्टीट्यूट आफ फार्मेसी, ज्वालापुर हरिद्वार	डी0फार्मा	₹ 45000 प्रतिवर्ष

डिप्लोमा स्तरीय इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों से संबंधित ऐसे संस्थान जिनके द्वारा अभी तक शुल्क निर्धारण का प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया है, उनके द्वारा भी अनन्तिम रूप से ₹ 35000/– का वार्षिक शुल्क तथा डी0फार्मा हेतु ₹ 45000/– प्रतिवर्ष ही छात्रों से लिया जायेगा। निजी क्षेत्र के होटल मैनेजमेन्ट संस्थानों में उत्तराखण्ड के शासनादेश सं0 773/XXIV(8)/2006-51/2005 TC दिनाँक 23 अगस्त 2006 के अनुसार होटल मैनेजमेन्ट पाठ्यक्रम के लिये ₹ 43000/– निर्धारित किया गया है।

उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा पॉलीटेकनिक संस्थाओं संचालित पाठ्यक्रमों का संक्षिप्त विवरण

क्रं0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	पाठ्यक्रम परिचय	रोजगार के अवसर
1	केमिकल इंजीनियरिंग	तीन वर्ष	केमिकल प्लान्ट आपरेशन, विभिन्न उपकरणों, मशीनों की सर्विसिंग, विभिन्न उत्पाद निर्माण प्रक्रिया तकनीक, प्रोसेस कन्ट्रोल, विभिन्न औद्योगिक इकाइयों का सेटअप, पर्यावरण प्रदूषण, सेफ्टी तकनीक।	केमिकल निर्माण उद्योग, फूड प्रोसेसिंग, डिस्टिलरी उद्योग में, शुगर मिल्स में, विभिन्न सरकारी उद्योगों में, शैक्षिक संस्थाओं में, दवा उद्योगों में, विभिन्न उत्पादक उद्योगों में तथा स्वरोजगार।
2	केमिकल टेक्नोलाजी (पेन्ट)	तीन वर्ष	तदैव	तदैव
3	इलेक्ट्रानिक्स इंजी0	तीन वर्ष	इलेक्ट्रानिक्स आइटम की एसेम्बली, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग एण्ड मेन्टीनेन्स, सेल्स एण्ड मार्केटिंग।	एच0ए0एल0, टी0वी0 निर्माण कम्पनी, आकाशवाणी, एअरपोर्ट अथॉरिटी, नागरिक उड्डयन, डाक एवं तार विभाग, दूरसंचार, बी.ई.एल., बी.एच.ई.एल. विद्युत परिषद्, इलेक्ट्रानिक्स निर्माण उद्योग।
4	इलेक्ट्रानिक्स एण्ड कम्युनिकेशन इंजी0	तीन वर्ष	इलेक्ट्रानिक्स आइटम की एसेम्बली, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसिंग एण्ड मेन्टीनेन्स, सेल्स एण्ड मार्केटिंग।	एच0ए0एल0, टी0वी0 निर्माण कम्पनी, आकाशवाणी, एअरपोर्ट अथॉरिटी, नागरिक उड्डयन, डाक एवं तार विभाग, दूरसंचार, बी.ई.एल., बी.एच.ई.एल. विद्युत परिषद्, इलेक्ट्रानिक्स निर्माण उद्योग।
5	कम्प्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग	तीन वर्ष	कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग, हार्डवेयर के सम्बन्ध में जानकारी।	कम्प्यूटर निर्माण उद्योग/प्रतिष्ठान एवं कार्यालय, अनुरक्षण सम्बन्धी कार्य, साफ्टवेयर निर्माण उद्योग में।
6	इन्टीरियर डिजाइन	तीन वर्ष	भवनों की आन्तरिक साज–सज्जा की प्लानिंग, ड्राफ्टिंग तथा सुपरविजन।	डिजाइनिंग कन्सलटेन्सी, टूरिज्म विभाग, निजी निर्माण, समस्त शो रूम में, फर्नीचर डिजाइन आदि में।
7	इन्फॉर्मेशन टेक्नोलाजी	तीन वर्ष	वेब डिजाइनिंग, बिजनेस शापिंग तथा इन्टरनेट द्वारा त्वरित सूचनाओं का आदान–प्रदान।	सरकारी एवं निजी संस्थाओं में रोजगार।
8	टेक्सटाईल डिजाइन	तीन वर्ष	फैब्रिक डिजाइन, ड्राइंग, ब्लीचिंग, बॉटिक, स्टेन्सिल प्रिंटिंग/डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस आदि।	कपड़ा उद्योग, हैण्डलूम उद्योग, विभिन्न सरकारी विभागों में, डाइंग तथा प्रिंटिंग में स्वरोजगार।
9	फार्मेसी	दो वर्ष	बायो–कैमिस्ट्री, स्वास्थ्य शिक्षा मानव शरीर–संरचना क्रिया प्रणाली, दवा निर्माण तकनीक।	सरकारी/गैर सरकारी दवा स्टोर रूम में, शिक्षण संस्थाओं में तथा दवा निर्माण कम्पनी में।
10	गारमेन्ट टेक्नोलाजी	तीन वर्ष	ड्रेस डिजाइनिंग, पैटर्न ड्राफ्टिंग, फैब्रीकेशन टेकनीक से सम्बन्धित जानकारी	परिधान निर्माण उद्योग, टेक्सटाईल डाइंग, प्रिंटिंग, एक्सपोर्ट हाउसेस, बुटीक केन्द्र तथा स्वरोजगार।
11	माडर्न आफिस मैनेजमेन्ट एण्ड सेक्रेट्रियल प्रैक्टिस	दो वर्ष	सचिवीय कार्य/वैयक्तिक सहायक के कार्य	केन्द्रीय, राज्य सरकार एवं निजी संस्थानों में।
12	फैशन डिजाइनिंग	तीन वर्ष	पैटर्न ड्राफ्टिंग/डिजाइनिंग, स्केचिंग, फैब्रीकेशन टैकनिक इम्ब्रायडरी आदि।	परिधान निर्माण उद्योग, फैशन म्युजियम्स, मैगजीन डिजाइनर तथा फैशन शो में।
13	पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन कम्प्यूटर एप्लीकेशन	दो वर्ष	कम्प्यूटर साफ्टवेयर के सम्बन्ध में जानकारी	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में कम्प्यूटर उद्योगों में, निजी प्रतिष्ठानों में एवं अन्य में।
14	सिविल इंजी0	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में रियल स्टेट से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य।

क्रं0 सं0	पाठ्यक्रम का नाम	पाठ्यक्रम अवधि	पाठ्यक्रम परिचय	रोजगार के अवसर
15	मेकेनिकल इंजी0	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	सरकारी एवं गैर सरकारी संस्थाओं में निजी प्रतिष्ठानों में एवं अन्य उद्योगों में मशीनों की बनावट निर्माण आदि के कार्य।
16	ऑटोमोबाईल इंजी0	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	वाहनों तथा उससे सम्बन्धित मशीनों से सम्बन्धित कार्य।
17	ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	गेम प्रोग्रामर, मेडिकल डॉयगनोसिस तथा विभिन्न ऑर्टिफिशियल इंटेलीजेन्स से जुड़े क्षेत्रों में विशेषज्ञ के रूप में रोजगार के अवसर।
18	गेमिंग एंड एनिमेशन	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	गेमिंग एंड एनिमेशन के क्षेत्र के पेशेवर मनोरंजन, गेम सॉफ्टवेर डेवलपर एवं एनीमेशन से सम्बंधित उद्योगों में काम पा सकते हैं।
19	ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	ऑटोमेशन एंड रोबोटिक्स इंजीनियरिंग करने वाले कैंडिडेट रोबोट के रिसर्च एंड डेवलपमेंट, रोबोट मैन्युफैक्चरिंग एंड टेस्टिंग, क्वालिटी कंट्रोल के सेक्टर में कार्य कर सकते हैं।
20	कम्युनिकेशन एंड कंप्यूटर नेटवर्किंग	तीन वर्ष	सम्बन्धित विषय में पूर्ण जानकारी	करियर के लिए यह प्रोफाइल काफी अच्छा है। इसमें आप नेटवर्क के एनालिसिस, इंस्टॉलेशन एंड कंफिगरेशन के साथ नेटवर्क परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, ट्रबलशूटिंग और नेटवर्क स्क्रूटनी की जिम्मेदारी भी निभा सकते हैं।

।।ऑनलाईन आवेदन भरने हेतु आवश्यक निर्देश।।

(1) आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक भरना एक महत्वपूर्ण कार्य है। अभ्यर्थी प्रत्येक पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक अर्हता आदि को सावधानी पूर्वक पढ़कर ही आवेदन पत्र भरें, क्योंकि ऑनलाईन फार्म में सनिरीक्षा कठिन होती है। साईबर कैफे से आवेदन भरने वाले अभ्यर्थी शुल्क जमा करने से पूर्व अपना आवेदन पत्र सावधानी पूर्वक पढें। आवेदन पत्र जमा (Submit) करने के बाद आवेदन पत्र में किसी भी प्रविष्टि को संशोधित नहीं किया जायेगा।

(2) अभ्यर्थी उर्ध्व एवं क्षैतिज आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी का अंकन ऑनलाइन आवेदन पत्र में अवश्य करें। आरक्षण का दावा न किये जाने की दशा में अभ्यर्थी को आरक्षण का लाभ कदापि अनुमन्य नहीं होगा।

(03) अभ्यर्थी यह सुनिश्चित कर लें कि **सभी प्रकार के पूर्ण ऑनलाइन आवेदन करने की अन्तिम तिथि को नियत समय तक अभ्यर्थी को "ONLINE APPLICATION" प्रक्रिया में "Register Now" बटन को "Click" करना अनिवार्य है। तत्पश्चात नियत अवधि तक परीक्षा शुल्क Net Banking/Debit Card/Credit Card के माध्यम से जमा करना है। परीक्षा शुल्क जमा करने के उपरान्त अभ्यर्थी द्वारा फोटो, हस्ताक्षर एवं अन्य सभी जानकारी अपलोड करने के उपरान्त ही आवेदन प्रक्रिया पूर्ण मानी जाएगी।**

4) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन की प्रिन्टआउट प्रति भविष्य में परिषद् से किये जाने वाले पत्राचार व अन्य आवश्यक उपयोग/साक्ष्य हेतु अपने पास सुरक्षित रखें।

(5) उत्तराखण्ड प्राविधिक शिक्षा परिषद् द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार किसी भी अभ्यर्थी द्वारा आवेदन में गलत तथ्यों का प्रकटीकरण जिनका वैध प्रमाण–पत्रों के आधार पर पुष्टि न हो या फर्जी प्रमाण पत्रों (शैक्षिक योग्यता/अनुभव/आरक्षण सम्बन्धी) के आधार पर आवेदन प्रस्तुत किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थियों को परिषद् की समस्त परीक्षाओं से अधिकतम् 03 वर्षो के लिए प्रतिवारित कर दिया जायेगा साथ ही सुसंगत विधि के अन्तर्गत ऐसे अभ्यर्थियों के विरूद्ध अभियोग भी दर्ज कराया जा सकता है।

(6) परीक्षा के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को यह सुनिश्चित कर लेना चाहिए कि वे परीक्षा में प्रवेश हेतु पात्रता की सभी शर्तों को पूरा करते हैं। परीक्षा के सभी स्तरों पर उनका प्रवेश पूर्णतः अनन्तिम होगा। अभ्यर्थी को मात्र प्रवेश–पत्र जारी किए जाने का यह अर्थ नही होगा कि उसका अभ्यर्थन परिषद् द्वारा अंतिम रूप से सुनिश्चित कर दिया गया है। यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अभ्यर्थी अर्ह नहीं था अथवा उसका आवेदन अस्वीकृत किया जाना चाहिए था अथवा वह प्रारम्भिक स्तर पर ही स्वीकार किए जाने योग्य नही था तो उसका अभ्यर्थन निरस्त कर दिया जाएगा।

(7) ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करने के उपरान्त आवेदन में की गयी प्रविष्टियों यथा अर्हता, आरक्षण से सम्बन्धित श्रेणी/उप श्रेणी, आयु एवं परीक्षा केन्द्र या अन्य किसी बिन्दु पर किसी भी प्रकार का संशोधन या परिवर्तन का अनुरोध स्वीकार नहीं किया जायेगा।

(8) ऑनलाइन आवेदन भरने के पूर्व विज्ञापन में वर्णित समस्त निर्देशों का भली–भाँति अध्ययन कर लें तथा ऑनलाइन आवेदन को सही–सही भरें। परिषद् में ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर दिए जाने के उपरान्त मूल आवेदन में दर्शाए गए विवरणों/प्रविष्टियों में किसी भी प्रकार का परिवर्तन किसी भी दशा में अनुमन्य नहीं होगा।

(9) अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अन्तिम तिथि की प्रतीक्षा न करें, बल्कि उससे पर्याप्त समय पूर्व ही अपना ऑनलाइन आवेदन करना सुनिश्चित करें।

(10) ऑफलाईन ओ0एम0आर0 आवेदन पत्र उत्तराखण्ड में समस्त राजकीय एवं राजकीय सहायता प्राप्त पॉलीटेक्निक संस्थानों में उपलब्ध है।

(11) प्रत्येक ग्रुप के लिये अभ्यर्थी अलग–अलग आवेदन एवं शुल्क जमा करेंगे।

संयुक्त सचिव,
शोध विकास एवं प्रशिक्षण संस्थान,
अपर आमवाला, देहरादून